अपील प्रकरण क्र.

प्रस्तुति दिनांक 03-04-2014

माननीय बोर्ड आफॅ रेवेन्यू, ग्वालियर

R-1357-PBR/14

पार्श्व रायल डेवलपर्स तर्फे भागीदार

1) श्री प्रेमकुमार पिता माणकचंद डुंगरवाल

2) श्री देवेन्द्रकुमार पिता प्रेमकुमार डुंगरवाल

3) श्रीमती शालीनी पति श्री देवेन्द्रकुमार डुंगरवाल

सभी निवासी 35, तिलक नगर,
इंदौर

..........अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1) म.प्र. शासन तर्फे
कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प, इंदौर

2) श्रीमती शांताबाई पति श्यामलाल
निवासी ग्राम सनावदा, तहसील व जिला इंदौर

3) श्रीमती सरजूबाई पति अंतरसिंह
निवासी ग्राम मूरखेडा, तहसील देपालपुर,
जिला इंदौर

............प्रतिप्रार्थीगण

श्री [...] प्रार्थी/अभिभावक द्वारा दिनांक 03/04/2014 को प्रस्तुत

अपील अंतर्गत धारा 56 भारतीय स्टेम्प एक्ट, 1899

मान्यवर,

कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प, इंदौर द्वारा उनके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 135–बी / 103 / 08–09 में पारित आदेश दिनांक 29 / 05 / 2009 से असंतुष्ट व दुखित होकर उसे निरस्त करते हुए यह अपील सादर प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1357–PBR/2014 जिला इदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–7–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 29–5–2009 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आवेदकगण की ओर से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 29–5–2009 के विरूद्ध यह निगरानी 3–4–2014 को लगभग 5 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई है । इस संबंध मे आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में आवेदकगण को सूचना नहीं दी गई और एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है इसलिये उन्हें कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की जानकारी नहीं हो सकी । कारण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 20–5–2009 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदकगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 से सूचना दी गई और सूचना पत्र तामीली उपरान्त भी किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण उनका पक्ष समाप्त किया जाता है । अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं बतलाये जाने के कारण यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य मान्य की जाकर अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	